राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–5/भर्ती प्रकोष्ठ) विभाग

क्रमांकः प.1(04) कार्मिक/क–5/2017 पार्ट–III जयपुर, दिनांकः 05-04-2021

–::परिपत्र::–

विषयः– राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का परीक्षा कलेण्डर जारी करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रशासनिक विभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध निर्धारित कार्यक्रमानुसार संपन्न किए जाने हेतु प्रशासनिक विभागों के स्तर पर समय पर रिक्तियों का निर्धारण, भर्ती हेतु अर्थना प्रेषित करना, भर्ती एजेंसी द्वारा वर्षभर के लिए अग्रिम रूप से भर्ती कार्यक्रम जारी करना तथा सभी कार्यवाही भर्ती कैलेण्डर के अनुसार संपन्न किया जाना अति आवश्यक है। रिक्ति निर्धारण से लेकर चयन के पश्चात् पदस्थापन तक भर्ती संबंधी समस्त कार्य समयबद्ध रूप से संपन्न किए जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:–

01. सभी सेवा संवर्गों में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में रिक्तियों का सृजन पदोन्नतियों के फलस्वरूप होता है। पदोन्नतियों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियां समय पर भर्ती हेतु अर्थना में शामिल की जा सकें, इसके लिए सभी विभागों द्वारा अपने अधीन सभी सेवा संवर्गों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आवश्यक रूप से 31 जुलाई से पूर्व आयोजित की जाऐंगी। आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा अग्रिम कार्यक्रम बनाकर आयोग को प्रेषित किया जाएगा। आयोग द्वारा सभी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें 31 जुलाई से पूर्व आयोजित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाऐगी।

02. सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध आगामी वर्ष को एक अप्रेल तक उपलब्ध होने वाली सभी रिक्तियों सेवानिवृत्ति, पदोन्नति एवं अन्य का चिन्हीकरण आवश्यक रूप से 15 अगस्त से पूर्व किया जाकर 31 अगस्त से पूर्व भर्ती हेतु अर्थना आयोग एवं चयन बोर्ड को प्रेषित की जाऐगी।

03. जिन मामलों में भर्ती हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता है उनमें संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त तिथि से पूर्व आयोग एवं बोर्ड को अर्थना प्रेषित किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए समय पर वित्त/कार्मिक विभाग की स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए।

04. आयोग एवं बोर्ड द्वारा 31 अगस्त से पूर्व प्राप्त होने वाली अर्थनाओं को आगामी वर्ष के भर्ती कैलेण्डर में शामिल किया जाऐगा।

05. भर्ती हेतु अर्थना प्रेषित करते समय संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अर्थना में रिक्तियों की संख्या, पदों का वर्गीकरण, रोस्टर के अनुसार आरक्षण, बैकलॉग के पदों का विवरण पूर्ण एवं स्पष्ट हो तथा भर्ती के संबंध में सेवा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक सभी सूचनाओं की पूर्ण पूर्ति कर ली गई हो।

06. आयोग एवं चयन बोर्ड के स्तर पर समस्त प्राप्त अर्थनाओं का परीक्षण 30 सितंबर से पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा। यदि अर्थना में किसी प्रकार की कमी है तो उसे 31 अक्टूबर से पूर्व ठीक करवाया जाएगा। विभागों द्वारा प्रेषित अर्थनाओं में कमी पाई जाने पर आयोग एवं चयन बोर्ड के स्तर पर संबंधित विभागों की बैठक आयोजित कर उन्हें दूर करवाया जाएगा। इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोग एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कार्यवाही करते हुए अर्थना को त्रुटिरहित किया जाऐगा।

07. आयोग एवं चयन बोर्ड द्वारा 30 नवंबर तक आगामी कैलेण्डर वर्ष में आयोजित की जाने वाली भर्तियों के संबंध में कैलेण्डर प्रकाशित किया जाएगा। आयोग एवं बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भर्ती की तिथि निश्चित किए जाने के पश्चात् केवल आपवादिक एवं अत्यावश्यक परिस्थितियों यथा प्राकृतिक आपदा आदि के अलावा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए भर्ती संबंधी समस्त कार्य निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार संपन्न किया जाऐगा।

08. परीक्षा परिणाम जारी होने के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है, कई बार अनुपस्थित अभ्यर्थियों के कारण मेरिट एवं परीक्षा परिणाम में परिवर्तन होता है, चयन सूची कई चरणों में प्रेषित की जाती है, परिणामस्वरूप भर्ती पूर्ण होने में विलंब होता है। इन सबके मद्‌देनजर भविष्य में भर्ती एजेंसी द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु यथेष्ट संख्या (रिक्तियों के न्यूनतम 2–3 गुणा) में अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाए ताकि मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची हेतु यथावश्यक अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकें। दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् सभी रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्ण चयन सूची एक साथ ही प्रशासनिक विभाग को अभिस्तावित की जाए।

09. भर्ती एजेंसी से चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग द्वारा सत्यापन, काउंसलिंग एवं अन्य सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूर्ण की जाकर चयन सूची प्राप्त होने के 04 सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से नियुक्ति आदेश जारी किए जाऐंगे। वर्तमान समय में मेल, विभागीय वेबसाइट एवं अन्य संचार साधनों के माध्यम से सूचनाएं अविलंब चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध हो जाती हैं अतः नियुक्ति आदेश में कार्यग्रहण हेतु 03 सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया जाए।

10. नियुक्ति आदेश में दी गई कार्यग्रहण तिथि समाप्त होने के पश्चात् विभाग द्वारा 04 सप्ताह के अंदर सभी कार्यालयाध्यक्षों से कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना प्राप्त कर ली जाए।

11. इस विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2001 के अनुसार प्रतीक्षा सूची मुख्य सूची जारी होने के छः माह तक प्रवर्तन में रहती है। 06 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् न विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची से नाम मांगे जा सकते हैं और न ही आयोग द्वारा नाम अभिस्तावित किए जा सकते हैं। विभाग द्वारा प्रतीक्षा सूची से नाम मांगे जाने के पश्चात् नामों/सूची की अभिशंषा करने से पूर्व आयोग/बोर्ड के स्तर पर कईं प्रशासनिक प्रकियाएं पूर्ण करनी होती हैं अतः यह आवश्यक है कि आयोग और बोर्ड को 06 माह की समयावधि व्यतीत होने से पर्याप्त समय पूर्व विभाग की मांग प्राप्त हो जाए। भविष्य में सभी प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करें कि मुख्य सूची के कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से प्राप्त कर मुख्य सूची जारी होने से 06 माह की अवधि समाप्त होने के कम से कम 45 दिन पूर्व आयोग एवं बोर्ड को प्रतीक्षा सूची से नामों की अभिशंषा हेतु विभाग की मांग के संबंध में अवगत करा दिया जाए।

12. मुख्य सूची के जारी होने तथा प्रतीक्षा सूची के कियान्वयन की समय सीमा समाप्त होने की अवधि में यदि नई भर्ती हेतु अर्थना प्रेषित की जानी हो तो मुख्य सूची के अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण न करने से रिक्त रहे पदों को 06 माह की अवधि तक नई भर्ती की अर्थना में शामिल नहीं किया जाए तथा यही प्रयास किया जाए कि ऐसे रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा जाए लेकिन यदि प्रतीक्षा सूची जारी होने की वैद्यता अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीन भर्ती की परीक्षा आयोजित हो जाती है तो पुरानी भर्ती की प्रतीक्षा सूची समाप्त (Lapse) समझी जाएगी तथा शेष रहे रिक्त पद नवीन भर्ती के माध्यम से भरे जाऐंगे। सेवा नियमों में यह प्रावधान है कि किसी भी भर्ती में परीक्षा परिणाम जारी होने से पूर्व रिक्तियों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। अतः पुरानी भर्ती के सफल अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण न करने से रिक्त रहने वाले पदों को नवीन भर्ती में जोड़ते हुए पदों की संशोधित संख्या के संबंध में विज्ञापन भी जारी किया जाए।''

5/4/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
2. उप सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स सहित)।

संयुक्त शासन सचिव